झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
आदेश

संचिका संख्या–4 / आ0–03–1027 / 2016– 338 राँची,दिनांक– 24/12/18

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गिरिडीह–01 द्वारा आमंत्रित ऑक्शन नोटिस संख्या–01 / 2012–13 में प्रकाशित स्क्रैप सामग्री की मात्रा के विरूद्ध कम मात्रा में अनुपयोगी (स्क्रैप) सामग्री मिलने की शिकायत श्री शत्रुधन सिंह, जयप्रकाश नगर, बरियातु बूटी मोड, राँची द्वारा माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड, राँची एवं कतिपय अन्य माध्यमों से की गयी। तदोपरांत लोकायुक्त कार्यालय के माध्यम से प्राप्त श्री सिंह के शिकायत पत्र में वर्णित आरोप के तथ्यों के विरूद्ध अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, धनबाद का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। अधीक्षण अभियन्ता, धनबाद के पत्रांक–1309 दिनांक–14.11.2014 एवं पत्रांक–1257 दिनांक–25.07.2015 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा हेतु विशेष सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी।

2. समिति द्वारा समर्पित समीक्षात्मक प्रतिवेदन में परिवादी द्वारा प्रतिवेदित आरोप प्रथम दृष्टव्या प्रमाणित पाये गये। तत्पश्चात् अधीक्षण अभियन्ता, धनबाद ने पत्रांकः–1324 दिनांक–16.07.2016 द्वारा उक्त हेतु दोषी श्री चन्द्रिका राम, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा–01, गिरिडीह के विरूद्ध अपने कार्यकाल के दौरान माह दिनांक–17.04.2011 से जनवरी 2012 तक के स्थल लेखा में स्क्रैप का ओपनिंग वैलेंस गलत संधारित करते हुए कर्त्तव्य के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने हेतु प्रपत्र–क गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

3. उक्त के विरूद्ध श्री राम से विभागीय पत्रांक–5144 दिनांक–16.11.2016 द्वारा स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी। श्री राम के पत्रांक–शून्य दिनांक–02.12.2016 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर अधीक्षण अभियन्ता, धनबाद का मंतव्य प्राप्त किया गया। अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक–2239 दिनांक–04.10.2017 द्वारा समर्पित मंतव्य में श्री राम द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकार्य योग्य पाया गया। तत्पश्चात् पूरे मामले पर विचारोपरान्त विभाग द्वारा श्री राम के विरूद्ध प्रथम द्रष्टव्य प्रमाणित आरोपों हेतु विभागीय आदेश संख्या 370 सहपठित ज्ञापांक 5036 दिनांक 08.11.2017 द्वारा प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

4. जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर उनके पत्रांक–1066 दिनांक–26.07.2018 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त प्रतिवेदन में श्री राम के विरूद्ध प्रपत्र–क में गठित प्रमाणित पाये गये आरोपों के विरूद्ध विभागीय पत्रांक–3964 दिनांक–26.09.2018 द्वारा श्री राम को द्वितीय पृच्छा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, जिसके आलोक में श्री राम के पत्रांक–शून्य दिनांक–12.10.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा विभाग को समर्पित किया गया।

5. जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एंव श्री राम से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा सहित सम्पूर्ण मामले की समीक्षा सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गयी, जिसमें पाया गया कि श्री राम द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नही किया गया है तत्पश्चात् समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री राम के विरूद्ध प्रपत्र–क में गठित आरोप यथा दिनांक–17.04.2011 से जनवरी 2012 तक के स्टोर का भौतिक सत्यापन कर लेखा का संधारण नहीं कर कर्त्तव्य के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप प्रमाणित पाये गये है। तत्पश्चात् संपूर्ण मामले पर विचारोपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रमाणित पाये गये आरोपों हेतु श्री राम को **निन्दन** का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

6. उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में श्री चन्द्रिका राम , तत्कालीन कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा–01, गिरिडीह सम्प्रति कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, झुमरीतिलैया की जयनगर प्रशाखा को **निन्दन** का दण्ड अधिरोपित किये जाने का आदेश दिया जाता है, जिसकी प्रविष्टी श्री राम के चरित्र पुस्त में की जाय ।

इस आदेश के साथ श्री राम के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

24/12/18

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

24/12/18

ज्ञापांक –4/आ0–03–1027/2016– 5151 राँची,दिनांक– 24/12/18

प्रतिलिपि– मा0 विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियन्ता प्रमुख कोषांग/सभी मुख्य अभियन्ता/सभी संयुक्त सचिव/ सभी अधीक्षण अभियन्ता (याँत्रिक सहित)/सभी अवर सचिव/सभी कार्यपालक अभियन्ता (याँत्रिक सहित) / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03 एवं 4, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/12/18

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –4/आ0–03–1027/2016– 5151 राँची,दिनांक– 24/12/18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–6821 दिनांक–05.12.18 के क्रम में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/12/18

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –4/आ0–03–1027/2016– 5151 राँची,दिनांक– 24/12/18

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, झुमरीतिलैया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/12/18

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –4/आ0–03–1027/2016– 5151 राँची,दिनांक– 24/12/18

प्रतिलिपि– श्री चन्द्रिका राम, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा–01, गिरिडीह सम्प्रति कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, झुमरीतिलैया की जयनगर प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/12/18

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –4/आ0–03–1027/2016– 5151 राँची,दिनांक– 24/12/18

प्रतिलिपि– श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक (IT),(PMU) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/12/18

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

21/12/18